न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 701/2023

अनवान : –

1. सुखराम पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र गोरधनदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
3. विनोद सिंह पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हंसराज बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गोरधनदास के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के उक्त वाद भूमि दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा[illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए य[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के उक्त वाद भूमि दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 701/2023

अनवान : –

1. सुखराम पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर पुत्र गोरधनदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
3. विनोद सिंह पुत्र महावीर जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 701 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 374/372 की कुल 11.2550 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा जोरावपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 28/30 की कुल 16.3010 हैक्ट भूम में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested